भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2734

19 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए नियत

बैटरी विनिर्माण संवर्धन

2734. श्री पी.सी. मोहन:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में बैटरी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) देश में बैटरी विनिर्माण क्षमता की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) देश में बैटरी विनिर्माण उद्योग के सामने क्या चुनौतियां हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) : देश में बैटरी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम 'नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज' को लागू कर रही है। स्कीम का कुल परिव्यय 18,100 करोड़ रुपये है। शुरुआती 2 वर्ष की अवधि जेस्टेशन की होगी और उत्तरवर्ती 5 वर्ष कार्य-निष्पादन तथा प्रोत्साहन का दावा करने के लिए होंगे। इस स्कीम में देश में 50 गीगावॉट घंटे की एसीसी बैटरी गीगा स्केल विनिर्माण व्यवस्था स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

(ख) : भारी उद्योग मंत्रालय पीएलआई स्कीम के तहत, वर्तमान में, 30 गीगा वाट घंटा पीएलआई एसीसी क्षमता 3 लाभार्थी कंपनियों को आवंटित की गई है। अनुमोदित लाभार्थी कंपनियां अपने विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं।

(ग) : वर्तमान में, पीएलआई-एसीसी स्कीम के तहत चयनित लाभार्थी कंपनियों द्वारा किसी चुनौती की सूचना नहीं दी गई है।

****